

बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

विज्ञापन सं.-23/2023, 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-1017, दिनांक-13.01.2023 एवं पत्रांक-2561, दिनांक-07.02.2023 के आलोक में कुल 155 (एक सौ पचपन) पदों (जो भविष्य में माननीय न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में घट भी सकती है) पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त 155 पदों की कोटिवार विवरणी निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित वर्ग	61	22
2.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	15	04
3.	अनुसूचित जाति	29	07
4.	अनुसूचित जनजाति	02	01
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	30	10
6.	पिछड़ा वर्ग	18	06
	कुल	155	50

नोट: (1) बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) भर्ती नियमावली, 1955 के आलोक में उक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए 01 (एक) प्रतिशत अस्थि दिव्यांगजनों के लिए क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। तदनुसार 02 (दो) पद अस्थि दिव्यांग के लिए क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत अनुमान्य है।

(2) बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) भर्ती नियमावली, 1955 के आलोक में उम्मीदवार स्वस्थ सुगठित शरीर और कर्मठ हो, तथा उसे कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो, जिससे सेवा के कर्तव्यों के सुचारु रूप से संपादन में बाधा पहुँचने की संभावना हो। यदि चिकित्सक बोर्ड द्वारा जाँच के बाद उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति न कर पाए, तो वह नियुक्ति के लिए न चुना जायेगा, परन्तु रंग दृष्टि दोष (Defective Colour Vision) के आधार पर न्यायिक सेवा के लिए किसी भी अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित न किया जा सकेगा।

2. शैक्षणिक योग्यता :- बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षोत्तीर्ण।

शैक्षणिक योग्यता के लिए विभिन्न महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत उपाधि के संबंध में उम्मीदवारों को महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्रधान, अथवा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित यह प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा कि संबंधित शिक्षण सत्र में उक्त महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। उक्त प्रमाण पत्र के अभाव में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

3. उम्र सीमा - दिनांक 01.08.2022 को उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष से अधिक एवं दिनांक-01.08.2019 को अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। परन्तु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए (महिला एवं अस्थि दिव्यांग श्रेणी सहित) तथा अनारक्षित श्रेणी की महिला अभ्यर्थियों के लिए उक्त तिथि को उम्र 40 वर्ष से कम एवं 22 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। न्यायिक पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी।

4.(क) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-4923, दिनांक-08.05.2008 के आलोक में अभ्यर्थियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने की स्थिति में प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा के दो प्रश्न पत्र होंगे, जो निम्नांकित होंगे :-

क्र.सं.	पत्र	विषय	पूर्णांक
1.	प्रथम पत्र	सामान्य अध्ययन	100
2.	द्वितीय पत्र	विधि	150

प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो बहुविकल्पों पर आधारित होगा, जिसमें से एक सही उत्तर होगा। इस परीक्षा में ओ.एम.आर. (OMR) उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जायेगा एवं इसकी जाँच कम्प्यूटर से आयोग कार्यालय में की जायेगी। उक्त दोनों प्रश्न पत्रों की पाठ्यक्रम सूची वही होगी, जो लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं विधि के प्रश्न पत्रों के लिए विहित है। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं विधि के विषय निम्नांकित है:-

1.	सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं सहित) (General Knowledge including current affairs)
2.	प्रारम्भिक सामान्य विज्ञान (Elementary General Science)
3.	साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि (Law of Evidence & Procedure)
4.	भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि (Constitutional and Administrative Law of India)
5.	हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि (Hindu Law & Muhammadan Law)
6.	संपत्ति अंतरण विधि (Law of Transfer of Property) और साम्य सिद्धान्त (Principles of Equity), न्याय विधि-विशिष्ट और अनुतोष (Law of Trusts and Specific Relief) सहित

7.	संविदा और अपकृत्य विधि (Law of Contracts & Torts)
8.	वाणिज्य विधि (Commercial Law)

1. **प्रारम्भिक परीक्षा**—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या—14764, दिनांक 28.10.2019 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के झापांक—16724, दिनांक—09.12.2019 के आलोक में प्रारम्भिक परीक्षा में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या का अधिकतम 10 गुणन में परिवर्तित करते हुए पात्र अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के लिए किया जायेगा और अंतिम अभ्यर्थी के समान अंक के सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त होंगे।
अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 45% होगा तथा आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 40% न्यूनतम अर्हतांक होंगे।

2. **मुख्य (लिखित परीक्षा)**—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या—17283, दिनांक—28.12.2016 के आलोक में निम्न प्रावधानः—

(क) उच्च न्यायालय को यह अधिकार होगा कि आयोग की सहमति से लिखित परीक्षा हेतु किसी विषय का अर्हतांक या सभी विषयों का अर्हतांक निर्धारित कर सकेगा।

(ख) महिला एवं अस्थि दिव्यांग अभ्यर्थियों सहित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से प्रत्येक सिद्धान्त विषय के लिए 5 प्रतिशत कम न्यूनतम अर्हतांक होंगे एवं कुल प्राप्तांक से 5 प्रतिशत कम न्यूनतम अर्हतांक होंगे।

3. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या—17283, दिनांक—28.12.2016 के आलोक में महिला एवं अस्थि दिव्यांग सहित आरक्षित श्रेणी से भिन्न अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने हेतु 05 (पाँच) से अधिक अवसर नहीं प्राप्त होंगे।

(ख) **चयन का आधार** :— नियुक्ति हेतु चयन, लिखित (मुख्य) परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा।

लिखित मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नवत् है :—

परीक्षा के अनिवार्य विषयः—

क्र.सं.	विषय	विषय कोड	पूर्णांक
1.	सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं सहित) (General Knowledge including current affairs)	01	150
2.	प्रारम्भिक सामान्य विज्ञान (Elementary General Science)	02	100
3.	सामान्य हिन्दी (General Hindi)	03	100
4.	सामान्य अंग्रेजी (General English)	04	100
5.	साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि (Law of Evidence & Procedure)	05	150

सामान्य हिन्दी और अंग्रेजी पत्र में न्यूनतम योग्यता प्रदायी अंक 30 होगा जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जायेगा। सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेंगे।

परीक्षा के ऐच्छिक विषयः—

उम्मीदवारों को निम्नांकित पाँच विषयों में से किसी तीन विषय को चुनने का विकल्प होगा :—

क्र.सं.	विषय	विषय कोड	पूर्णांक
6.	भारत की संविधानिक एवं प्रशासनिक विधि (Constitutional and Administrative Law of India)	06	150
7.	हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि (Hindu Law & Muhammadan Law)	07	150
8.	संपत्ति अंतरण विधि (Law of Transfer of Property) और साम्य सिद्धान्त (Principles of Equity), न्याय विधि—विशिष्ट और अनुतोष (Law of Trusts and Specific Relief) सहित	08	150
9.	संविदा और अपकृत्य विधि (Law of Contracts & Torts)	09	150
10.	वाणिज्य विधि (Commercial Law)	10	150

उपर्युक्त अंकित सभी विषयों का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

- (ग) लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित किया जायेगा। मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) के लिए योग्यता प्रदायी अंक 35 प्रतिशत होगा। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) में उपस्थित होना अनिवार्य है। (लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी)

नोटः— सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक—13793, दिनांक—04.10.2019 के आलोक में असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अन्तर्वीक्षा के लिए 1:3 के अनुपात में सफल अभ्यर्थियों को शामिल किया जायेगा।

असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के संवर्ग का कोई पदाधिकारी यदि सेवा के तीन वर्ष पूरा होने के पूर्व छोड़ देता है या सेवा त्याग देता है तो उसे तीन माह पूर्व इसकी सूचना देनी होगी अथवा उसके बदले तीन माह के वेतनादि के समतुल्य नकद राशि जमा करना होगा।

- साक्षात्कार के समय और अवसर दिये जाने पर भी निर्धारित अवधि के अंदर अपेक्षित प्रमाण पत्र नहीं देने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शून्य अंक माना जायेगा, चाहे साक्षात्कार में वास्तविक प्राप्तांक कुछ भी हो। साथ ही ऐसे सभी अभ्यर्थी को असफल/अयोग्य ही घोषित किया जायेगा चाहे पूर्व परीक्षाओं में उसका प्राप्तांक कुछ भी हो। इसी प्रकार साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को भी असफल/अयोग्य ही घोषित किया जायेगा।

5. आरक्षण:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (ii) सम्प्रति राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मात्र 35% महिला हेतु क्षैतिज आरक्षण एवं दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत ही देय होगा। इन्हें अन्य कोई आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (iii) कोटिवार आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा।
- (iv)(A) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- (a) जाति प्रमाण-पत्र
- (b) स्थायी निवास/मूल निवास (संबंधी आवासीय) प्रमाण-पत्र
- (B) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में; अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- (C) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक-26.02.2019 एवं पत्रांक-12726, दिनांक-30.12.2020 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगा, परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा। इस विज्ञापन हेतु गत वित्तीय वर्ष के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
- (v) आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षित कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे एवं ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
- आरक्षित कोटि निम्नवत् है :-

क्र.सं.	आरक्षित कोटि	ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि	कोटि कोड
1.	अनुसूचित जाति (Schedule Caste)	SC	02
2.	अनुसूचित जनजाति (Schedule Tribe)	ST	03
3.	अति पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC	05
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	07

- (vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-17283, दिनांक- 28.12.2016 की कड़िका-3 क (iii) के आलोक में उक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु महिलाओं के लिए 35% तथा अस्थि दिव्यांगों के लिए 01 (एक) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

दिव्यांगता संबंधी आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में चिकित्सा पर्वद से निर्गत वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, जो राज्य के बाहर के दिव्यांग अभ्यर्थी पर भी समरूप लागू होगा परन्तु राज्य के बाहर के दिव्यांग अभ्यर्थी को यह छूट रहेगी कि वह अपने राज्य के सक्षम स्तर

- से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन सत्यापन के समय उन्हें बिहार सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (vii) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक-28.11.2012 में निहित प्रावधान के आलोक में नियुक्ति/प्रोन्नति/नामांकन की प्रक्रिया के बीच किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- सभी वांछित प्रमाण पत्र इस विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक या पूर्व का होना आवश्यक है।

6. ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

नोट:-साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र मूल में (Original copy) सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

1. मैट्रिक का प्रमाण-पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए)
 2. विधि स्नातक डिग्री का प्रमाण-पत्र।
 3. विधि स्नातक का अंक पत्र।
 4. महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्रधान, अथवा विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण-पत्र कि संबंधित शिक्षण सत्र में उक्त महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है।
 5. वैसे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्रधान द्वारा निर्गत आचरण प्रमाण पत्र जहाँ अभ्यर्थी सबसे अंत में अध्ययनरत रहा हो।
 6. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)
 7. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषण पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)। (दावा करने की स्थिति में)
 8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)
 9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र)। (दावा करने की स्थिति में)
 10. बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र (शुल्क में रियायत/छूट का दावा करने के स्थिति में)।
 11. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र। इस विज्ञापन हेतु गत वित्तीय वर्ष के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे। (दावा करने की स्थिति में)।
 12. अस्थि दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र। (दावा करने की स्थिति में)।
- नोट:- अस्थि दिव्यांग (OH) का दावा करने की स्थिति में PMCH, Patna से निर्गत प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।
13. केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, तो साक्षात्कार में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
 14. पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।
 15. हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।
 16. भरे गये ऑनलाइन आवेदन की प्रति।

नोट: (1) उपर्युक्त प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर (अधिकतम एक सप्ताह) देते हुए औपबधिक रूप से साक्षात्कार में भाग लेने की सशर्त अनुमति दी जायेगी। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण-पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया/परीक्षा के प्रारंभ से लेकर अब तक के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जाँच कर और सभी चरणों में योग्य और सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जायेगा, अन्यथा उसे असफल एवं अयोग्य घोषित कर उसे काली सूची में दर्ज किया जा सकता है।



- (2) इस विज्ञापन की कंडिका-2 में अंकित शैक्षणिक योग्यता में अंकित विधि स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षोत्तीर्ण से संबंधित प्रमाण-पत्र/अंक पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि-27.03.2023 तक या पूर्व का होना अनिवार्य है।

7. शुल्क:-

- सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 600/- (छ: सौ) रुपये
- केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 150/- (एक सौ पचास) रुपये
- बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए- 150/- (एक सौ पचास) रुपये
- दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए- 150/- (एक सौ पचास) रुपये
- अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 600/- (छ: सौ) रुपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवार कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला उम्मीदवार कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगता एवं महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी) के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बिहार राज्य की स्थायी निवासी कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

8. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:- (i)

1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	27.02.2023
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	27.03.2023

- उम्मीदवारों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्यवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान सिर्फ साक्षात्कार के समय ही किया जायेगा। इसके पूर्व इसकी जाँच सामान्यतया नहीं होगी और बाद में जाँच में प्रमाण-पत्र सही नहीं पाये जाते हैं, अथवा अभ्यर्थी द्वारा दिया गया तथ्य/साक्ष्य गलत/वृद्धिपूर्ण पाया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हो जायेगा और इस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही इस कारण अभ्यर्थी को वर्तमान और भविष्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की ही होगी।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक (विस्तृत) निर्देश इस विज्ञापन के साथ संलग्न है।

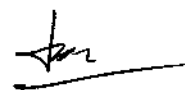
अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा-निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

- (A) रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन डाटा को Edit करने का Option रहेगा, जो Payment करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी किसी भी प्रविष्टि (नाम, पिता/पति/माता, आरक्षण कोटि इत्यादि) को Edit करने का प्रावधान रहेगा।

- (B) Payment करने एवं आवेदन के Final Submission किये जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गयी प्रविष्टि को पुनः Edit कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद एक सप्ताह (दिनांक-03.04.2023 तक) का समय दिया जायेगा।

परन्तु वे निम्न प्रविष्टियों में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे:-

- (i) जिन प्रविष्टियों से Fee का निर्धारण प्रभावित होता है:-



- (क) बिहार के मूलवासी Female अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद बिहार के मूलवासी Female होने के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।
- (ख) बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद बिहार के मूलवासी SC/ST कोटि के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।
- (ग) 40% अथवा उससे अधिक प्रतिशत दिव्यांगता वाले Disabled Category के अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का दावा किया गया है, वे Payment करने के बाद दिव्यांगता के प्रतिशत के दावा में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।
- (iii) Payment करने के बाद अभ्यर्थी को नाम, पिता/पति/माता के नाम में Edit करने का अवसर नहीं मिलेगा। उपर्युक्त वर्णित बिन्दुओं को छोड़कर शेष Fields में अभ्यर्थी वांछित परिवर्तन कर सकेंगे।
- वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने गैर-रियायती परीक्षा शुल्क का भुगतान करते हुए आवेदन किया है, यदि वे बाद में Edit करके रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में जाते हैं, तो उनके द्वारा Examination Fee के भुगतान की गयी अधिक राशि वापस नहीं होगी।

वैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) का लाभ लेते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और वे Edit करके दूसरे गैर-रियायती परीक्षा शुल्क वाली कोटियों में आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक अपने रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है तथा उसी Mobile No./Email ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

- (iii) उक्त Edit करने की तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन के डाटा में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा, इसकी विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है:-

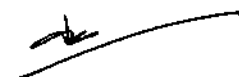
सुधार/परिवर्तन हेतु प्राप्त बिन्दु	आयोग का निर्णय
आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग (Gender), आधार संख्या, जाति, आरक्षण कोटि, भूतपूर्व सैनिक, बिहार राज्य के सरकारी सेवक, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांग, पत्राचार का पता, स्थायी पता, अन्य डाटा जैसे:- फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षिक योग्यता, अनुभव इत्यादि में परिवर्तन/सुधार (Edit) के संबंध में।	(क) ऑनलाइन आवेदन के दौरान Edit की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद प्राप्त किसी भी तरह के परिवर्तन एवं सुधार (Edit) के अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। (ख) आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आवेदक द्वारा भरे गये डाटा को अंतिम समझा जायेगा। (ग) उम्मीदवार द्वारा भरे गये डाटा और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/कागजात में कोई भिन्नता आती है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
Optional Paper में परिवर्तन/सुधार (Edit) के संबंध में।	(क) ऑनलाइन आवेदन के दौरान Edit की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद प्राप्त किसी भी तरह के परिवर्तन एवं सुधार (Edit) के अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। (ख) आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक आवेदक द्वारा भरे गये डाटा को अंतिम समझा जायेगा। (ग) इसके पश्चात् प्राप्त Optional Paper में परिवर्तन के अनुरोध को अमान्य कर दिया जायेगा।
मोबाईल/ई-मेल में परिवर्तन/सुधार (Edit) के संबंध में।	एक बार Registration हो जाने के बाद परिवर्तन/सुधार संभव नहीं है। अतः उक्त संबंध में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।
एक से अधिक आवेदन करने या भरने के संबंध में।	Registration में गलत विवरण अंकित हो जाने की स्थिति में आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक Registration को रद्द कर सकता है तथा उसी मोबाईल/ई-मेल से दूसरा Registration एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। वैसे स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अगर किसी अभ्यर्थी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, ऐसी

सुधार/परिवर्तन हेतु प्राप्त बिन्दु	आयोग का निर्णय
	स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।
एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में।	किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जायेगा।

- (iv) उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि से संतुष्ट होने के उपरान्त ही ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करेंगे।
- (v) ऑनलाइन आवेदन में अंकित E-mail Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं Password को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी0 अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. अंकित नहीं करेंगे।
- (vi) मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा की अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है।
- (vii) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।
- (viii) उम्मीदवार हाल का खिंचा हुआ अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (ix) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम से कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके।
- (x) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
- (xi) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर **Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number** अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- (xii) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डैश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।
- (xiii) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास ऑनलाइन आवेदन भरते समय उपलब्ध है।

9. महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (i) अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application Section" से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
10. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा।
11. योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
12. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
13. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट तथा



अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

14. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।


20/1/23
परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।